फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत..........उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा.......... मुकाम.......... भादरा

..........रूलीचंद आदि.......... बनाम.......... बंशीलाल आदि

किस्म मुकदमा.......... RTAct. 212 .... नं० 50 /20.06.2018 .... सन.......... 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
20.06.2018	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया। रिर्पोट रिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता सं0 74/21 की कुल 5.556 हैक्टर नहरी सायल व गैरसायल की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है सायल एवं गैरसायलान एक ही परीवार के सदस्य है एवं प्रार्थीगण गांव लुदेशर नाथूसरी चौपटा की भूमि को शामिल रूप से कास्त करते है तथा 10 एनटीआर की भूमि बंशीलाल एवं प्रभूराम के वारिसों के हिस्सों में आ गयी तथा वे इसमें कास्त करते आ रहे है। गैरसायलन वीरसिंह आदि को घरू राजिनाम के हिसाब से मु० न. 15 के किला न. 18 ता 23 में कब्जा लेने को कहा था तो गैरसायलान ने धमकी थी कि उक्त भूमि का कब्जा कर लेंगें। गैरसायलान बिना खाता विभाजन कराये वाद भूमि के किसी हिस्से पर कब्जाकास्त नहीं करने तथा रहन बैय न करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनकर बहस एवं रिकार्ड से संतुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी तारीख तक इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वाद भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल न करे। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को उज एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.07.2018 को पेश है। उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	
18/7/18	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी.....[illegible]..... दिनांक..........को पेश हो। 25/8/18	
25/8/18	पत्रावली पेश हुई [illegible] कार्य स्थगित है। पत्रावली दिनांक 5-11-18....को पेश हो। [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:30:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

24/5/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली से संबंधित मूल वाद का निर्णय पारित होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया इसी प्रकार खारिज की जाती है। पत्रावली नियम से क्रम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 24/05/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:30:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner